

निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
झालावाड़(राजस्थान)

मिसल नं० ७५ / प्रा०पत्र / २०

बचन बैंक लि०- गृह फाईनन्स लि०

नकान नं० 15, नेशनल हाईवे 12 पाटर रोड, कृष्णा होटल के पास, झालावाड़ .....प्राथी  
बनाम

01. अंतिम मोदी आ० शान्तीलाल मोदी
02. श्रीमति सीमा मोदी पत्नी अंतिम मोदी

निवासीगण प्लॉट नं० 46 कोल्वी मोहल्ला, पंचायत भवन के पास ग्राम बिलावली चौमहला, गंगधार  
जिला झालावाड़ (अप्राथीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और  
प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम-2002

-: निर्णय :-

दिनांक: 22.10.2020

यह प्रार्थना पत्र प्राथी द्वारा जयें अधिकृत प्रतिनिधि सिक्वोरिटाईजेशन एक्ट 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि अप्राथी द्वारा वित्तीय स्थिति से रूपये 13,00,000/- (अक्षरे तेरह लाख मात्र) का ऋण लिया था व उक्त ऋण व उसके ब्याज के पुनर्मुगतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप में आराजी सर्वे खसरा नं० 116/1, प्लॉट नं० 46 कोल्वी मोहल्ला, पंचायत भवन के पास ग्राम बिलावली चौमहला गंगधार जिला झालावाड़ को प्राथी के पास रहन किया था। अप्राथीगण द्वारा बैंक को नियमानुसार ऋण नहीं चुकाने पर दिनांक 31.08.2019 को अक्रियान्वित आस्तित्व में वर्गीकृत कर दिया गया। प्राथी बैंक ने एन पी ए घोषित होने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्राथीगण को दिनांक 24.01.2020 को नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात अप्राथीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई। अप्राथीगण के खाते में बकाया राशि 14,44,953.19/- दिनांक 15.06.2020 तक शेष हैं व आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिये अप्राथीगण जिम्मेदार है। सिक्वोरिटाईजेशन एक्ट के प्राधानो के अनुसार प्राथी सिक्वोरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है। उपरोक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलवाया प्राथी बैंक या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने का अनुरोध किया गया है।

सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी को सुनने का प्रावधान नहीं है। अतः हमारे द्वारा पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। बैंक को ऋणी द्वारा ऋण का भुगतान नहीं करने पर दिनांक 31.08.2019 को व्यविक्रम डिफाल्ट होने पर एन.पी.ए. घोषित किया गया है, ऋणी के विरुद्ध रूपये 14,44,953.19/- दिनांक 15.06.2020 तक तथा इसके बाद की ब्याज व अन्य खर्चे हेतु उपरोक्तानुसार मांग की गई है, उक्त राशि का भुगतान करने के लिये ऋणी जिम्मेदार है। ऋणी द्वारा बैंक से लिये गये ऋण की राशि का नियमानुसार भुगतान नहीं किये जाने, तत्पश्चात बैंक द्वारा बकाया मांग राशि की प्राप्ति हेतु नियमों के परिपेक्ष्य में समुचित कार्यवाही करने तत्पश्चात भी मांग राशि का भुगतान ऋणी द्वारा नहीं किये जाने पर बैंक द्वारा जरिये प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों की प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा की धारा 14 के तहत बैंक द्वारा गिरवीकृत परिपेक्ष्य का भौतिक कब्जा बैंक को सुपुर्द करने की मांग की गई है। सरफेसी एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टी पश्चात जमानत स्वरूप बन्धक रखी गई सम्पत्ति को बैंक को कब्जे में दिलवाने में सहयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है- बैंक द्वारा समस्त विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति की गई है व इस बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्तानुसार प्रा०पत्र के सलंग्न शपथ को दृष्टिगत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रा०पत्र प्राथी स्वीकार किया जाता है। ऋण व बकाया रकम की अदायगी हेतु ऋणी/अप्राथी द्वारा बैंक में गिरवीकृत आराजी सर्वे खसरा नं० 116/1, प्लॉट नं० 46 कोल्वी मोहल्ला, पंचायत भवन के पास ग्राम बिलावली चौमहला गंगधार जिला झालावाड़ स्थित उक्त सम्पत्ति पर शांति पूर्वक मौके पर भौतिक कब्जा प्राथी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को दिलाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ को आदेशित किया जाता है। प्राथी इस बाबत पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ से सम्पर्क कर ऋणी बैंक में गिरवीकृत सम्पत्ति को अपने अधिकार में लेने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति प्राथी बैंक व पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकमा गोहाएन)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
झालावाड़